संख्या-62/2020/696 ई-2/तेरह-2020-165/2017

प्रेषक,

**अनिल कुमार,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 16 जुलाई, 2020

**विषय:- श्री स्वतंत्र यादव पुत्र श्री राकेश यादव प्रबन्धक एब्रिस हास्पिटेलिटी प्रा.लि. बी.-15 सेक्टर-51 नोयडा, गौतमबुद्धनगर द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट स्काई हाउस कैफे एण्ड बार सातवां तल गौर सेन्ट्रल मॉल प्लाट नम्बर ए-1 से ए-4 आर.डी.सी. राजनगर, गाजियाबाद को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को सम्बोधित अपने पत्र सं.-273/10/एफ.एल.-7/बार अनु./एब्रिस हास्पिटेलिटी, दिनांक 27.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

**2.** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27.02.2020 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की बैठक दिनांक 11.02.2020 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-262/दस-लाइसेंस-63/एफ.एल.-7/स्काई हाउस कैफे/बार अनु./गाजियाबाद, दिनांक 05.03.2020 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री स्वतंत्र यादवव पुत्र श्री राकेश यादव प्रबन्धक एब्रिस हास्पिटेलिटी प्रा.लि. बी.-15 सेक्टर-51 नोयडा, गौतमबुद्धनगर द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट स्काई हाउस कैफे एण्ड बार सातवां तल गौर सेन्ट्रल मॉल प्लाट नम्बर ए-1 से ए-4 आर.डी.सी. राजनगर, गाजियाबाद को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन देने की स्वीकृति एतद्द्वारा इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट में अग्निशमन यंत्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में रहेंगे तथा अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति में दी गयी शर्तो का इकाई द्वारा पालन किया जायेगा साथ ही प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट द्वारा सी.सी. टी.वी. कैमरे एवं हैन्ड-हेल्ड-मेटल डिटेक्टर से सुसज्जित सुरक्षा कर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(अनिल कुमार)**
संयुक्त सचिव।

संख्या-62/2020/696 ई-2/तेरह-2020 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या- जी-262/दस-लाइसेंस-63/एफ.एल.-7/स्काई हाउस कैफे/बार अनु./गाजियाबाद, दिनांक 05.03.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

**(अनिल कुमार)**
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।